



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2765]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2016/अग्रहायण 3, 1938

No. 2765]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2016/AGRAHAYANA 3, 1938

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2016

का.आ. 3534(अ).—सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 से 7 के साथ पठित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 तथा धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 2013 की संख्या का.आ. 786(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड(ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना के अधिक्रमण में जहां तक उनका संबंध ऐसे अधिक्रमण से पहले किए या लोप किए जाने वाले कार्यों से है, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार एतद्वारा -

(i) प्राकृतिक, मानव निर्मित और सिंथेटिक फाइबर, स्पन यार्न, फिलामेंट यार्न, ऊनी टॉप, कॉटन टेक्सटाइल, ऊनी टेक्सटाइल, सिल्क, तकनीकी वस्त्र, कपड़े, मेड-अप्स, परिधान (निटेड और वूवन, सहित वस्त्र मदों के विनिर्माताओं और व्यापारियों, अतिरिक्त पुर्जों का विनिर्माण करने वाली यूनियों, जिनिंग फैक्ट्रियों, कॉटन प्रेसिंग फैक्ट्रियों तथा कॉटन जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों सहित हस्त और विद्युत प्रचालित वस्त्र प्रसंस्करण यूनियों, वस्त्र मशीनरी विनिर्माण यूनियों से सांख्यिकी और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार हथकरघा, खादी और पटसन को छोड़कर वस्त्र क्षेत्र से संबंधित अन्य सभी आंकड़ों के संग्रहण का निदेश देती है;

(ii) भौगोलिक इकाई/इसमें उल्लिखित अधिकार क्षेत्र के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इस अधिसूचना की अनुसूची-1 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार और साथ ही कार्यालय में उनके प्रतिनिधियों के रूप में सांख्यिकी अधिकारी की नियुक्ति करती है;

(iii) इस अधिसूचना के तहत सांख्यिकी संग्रहण के प्रयोजनार्थ सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उप-धारा(5) के तहत उसे प्रदत्त केंद्र सरकार की सभी शक्तियां नामतः सूचनादाताओं द्वारा दी जाने वाली सांख्यिकी सूचना के रूप, अपेक्षित विवरण या उस अंतराल तथा उस सांख्यिकी अधिकारी को विनिर्दिष्ट करने की शक्तियां करती है इस अधिसूचना के अंतर्गत सांख्यिकी अधिकारी को प्रत्यायोजित करती है जिसे यह सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

(iv) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उप-धारा(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियां, जो उक्त अधिनियम की उप-धारा (2) और (3) द्वारा उसे प्रदान की गई हैं, उस भौगोलिक इकाई के अंतर्गत जिसके लिए ऐसे सांख्यिकी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, नामतः एजेंसियां या ऐसी एजेंसियों में काम कर रहे व्यक्तियों को नियुक्त करने या किसी एजेंसी या कंपनी या संगठन या व्यक्तियों के संघ को संबिदा के आधार पर नियोजित करने के लिए इस अधिसूचना के तहत सांख्यिकी अधिकारी को प्रत्यायोजित करती है।

अनुसूची-1

1. सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन, स्थापित क्षमता, इकाइयों के कार्यकरण, रोजगार, कच्चे माल की खपत, उत्पादन और सुपुर्दगी और माह के अंत तक वस्त्र मदों के स्टॉक से संबंधित सांख्यिकी संग्रहण का प्रयोजन वस्त्र क्षेत्र के विकास और कार्यकरण पर निगरानी रखना और नीतिगत निर्णयों का प्रयोग करने के लिए डाटाबेस का रखरखाव करना होगा।
2. सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र, वस्त्र से संबंधित सांख्यिकी संग्रहण जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होगा।
3. आंकड़ा संग्रहण की पद्धति, किसी वस्त्र मद का विनिर्माण कर रही किसी इकाई या व्यक्ति या वस्त्र मदों के किसी व्यापारी या निर्यातक या आयातक के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में पंजीकृत डाक या दस्ती डाक या वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से सूचना या आंकड़े प्रस्तुत करें।
4. सूचनादाताओं का प्रकार जिनसे आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, कोई इकाई या व्यक्ति (इकाई का मालिक या जोतदार सहित) जो किसी वस्त्र मद का विनिर्माण कर रहा है या वस्त्र मदों का कोई व्यापारी या निर्यातक या आयातक समय-समय पर वस्त्र आयुक्त द्वारा यथा-अपेक्षित सूचना प्रदान करेगा।
5. वह अवधि जिसके दौरान सांख्यिकी संग्रहण का कार्य पूरा किया जाएगा, प्रत्येक सूचनादाता द्वारा विनिर्माण या व्यापार क्रियाकलाप या किसी अन्य सूचना के संबंध में मासिक, तिमाही, अर्द्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर या वस्त्र आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किसी अन्य बारंबारता पर वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित तारीख और माध्यम में सूचना भेजनी होगी।
6. एकत्र की जाने वाली सूचना का स्वरूप, प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का संबंध स्थापित क्षमता, इकाइयों के कार्यकरण, व्यापारिक क्रियाकलाप, रोजगार, कच्चे माल की खपत और उपभोग्य वस्तुएं, आयात, उत्पादन, कीमत, बिक्री, निर्यात, सुपुर्दगी, व्यापार से संबंधित सूचना, बिजली की खपत, कैपिटिव विद्युत उत्पादन, वस्त्र की मदों का माह के अंत तक का स्टॉक और ऐसी किसी अन्य सूचना से होना चाहिए जो वस्त्र आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो।
7. वह भाषा जिसमें सूचना प्रस्तुत की जानी है, सूचनादाता, निर्धारित प्रपत्र में हिन्दी या अंग्रेजी में सूचना प्रस्तुत करेगा। अंक संबंधी सूचना अरबी अंकों में दी जाएगी।
8. बिजनस रिकॉर्ड और अन्य रिकॉर्डों का स्वरूप जिनका निरीक्षण किया जा सकता है कर्मचारियों के रॉल के संबंध में रजिस्टर या रिकॉर्ड जैसे किसी इकाई या व्यक्ति का बिजनस रिकॉर्ड, खरीद या बिक्री या उपयोग या उत्पादन या सूचना के समर्थन में ऐसी इकाई या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य दस्तावेज का रखरखाव किया जाएगा और किसी इकाई या व्यक्ति द्वारा दिए गए आंकड़ों का प्रत्यक्ष सत्यापन सहित निरीक्षण किया जाएगा और वस्त्र आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नमूनों की जांच की जाएगी।
9. निरीक्षण का ढंग, किसी इकाई या व्यक्ति के बिजनस रिकॉर्ड और अन्य रिकॉर्डों के आधार पर किसी इकाई या व्यक्ति द्वारा विवरणी के निर्धारित प्रपत्र में दी गई सूचना का सत्यापन वस्त्र आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है और उस इकाई या व्यक्ति या संबंधित मालिक या जोतदार या पट्टेदार या इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है।
10. सूचनादाता का दायित्व, (i) वस्त्र मदों का विनिर्माण कर रहा कोई व्यक्ति या किसी इकाई का मालिक या जोतदार या पट्टेदार विनिर्माण या व्यापारिक क्रियाकलाप के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में आवधिक सांख्यिकी विवरणी प्रस्तुत करेगा।
(ii) कोई सूचनादाता निरीक्षण के लिए संगत रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करेगा और वस्त्र आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा-अपेक्षित सांख्यिकी से संबंधित स्पष्टीकरण या नमने प्रस्तुत करेगा। इस प्रयोजनार्थ कर्मचारियों के आंकड़ों या सूचना से संबंधित सभी रजिस्टर या रिकॉर्ड जैसे किसी व्यक्ति या इकाई के बिजनस रिकॉर्ड, मशीनरी के परिचालन, खरीद या उपयोग या कच्चे माल का स्टॉक, उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन की गई मात्रा और बिक्री या उत्पादों का स्टॉक जिसमें उप-उत्पाद

भी शामिल हैं या अन्य कोई सूचना और इकाई द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के समर्थन में दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए वस्त्र आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुसूची-II

सांख्यिकी अधिकारी	पता	भौगोलिक इकाई/अधिकार क्षेत्र
डा. कविता गुप्ता, वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार	निष्ठा भवन (न्यू सीजीओ बिल्डिंग), 48, न्यू मैरिन लाइन्स, मुंबई -400 020	जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरा भारत

[फा. सं. 8/6/2015-पीएल]

ए० मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, 24th November, 2016

S.O. 3534(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 and section 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011 in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Textiles, published in the gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) vide number S.O. 786 (E), dated the 27th February, 2013, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Ministry of Textiles, Government of India hereby –

- (i) directs collection of statistics from the manufacturers and traders of textile items including natural, manmade and synthetic fibres, spun yarn, filament yarn, woollen tops, cotton textiles, woollen textiles, silk, technical textiles, cloth, made-ups, garments (knitted and woven), hand and power operated textile processing units, textile machinery manufacturing units including units manufacturing spare parts, ginning factories, cotton pressing factories and cotton ginning and pressing factories and all other data relating to textile sector excluding Handloom, Khadi and Jute as per the details mentioned in Schedule-I appended to this notification;
- (ii) appoints the Textile Commissioner, Government of India, as also his or her assignees in office as the Statistics Officer, as detailed in Schedule-II of this notification, to exercise powers under the said Act, in respect of the geographical unit/jurisdiction mentioned thereof;
- (iii) delegates to the Statistics Officer under this notification, all the powers of the Central Government conferred on it under sub-section (5) of section 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 for the purpose of collection of statistics under this notification, namely specify the form, the particulars required or the interval within which, and the statistics officer to whom, the statistical information by the informants shall be furnished; and
- (iv) delegates to the Statistics Officer under this notification, powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Collection of Statistics Act, 2008, namely the powers of appointing agencies or persons working in such agencies or employing on contract basis any agency or company or organization or association of persons, conferred on it by sub-sections (2) and (3) of the said Act, within the geographical unit for which such statistics officer is appointed.

SCHEDULE-I

- 1. Subject and the purpose for collection of statistics,** the purpose for collection of statistics relating to installed capacity, working of the units, employment, consumption of the raw material, production, deliveries and month end stock of the textile items shall be for monitoring the growth and working of the textile sector and for maintaining database for making use in policy decisions.
- 2. Geographical area for the collection of statistics,** the collection of statistics related to textile shall be applicable to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.
- 3. Method of data collection,** a unit or person manufacturing any textile item or a trader or exporter or importer of textile items shall be required to submit information or data in the formats specified by the Textile Commissioner, by way of registered post or by hand delivery or any other means specified by the Textile Commissioner.
- 4. Nature of Informants from whom data may be collected,** a unit or person (including owner or occupier of the unit) manufacturing any textile item or a trader or exporter or importer of textile items shall furnish the information as required by the Textile Commissioner from time to time.

5. Period during which collection of statistics may be completed, the return of information shall be required to be submitted by the date and mode specified by the Textile Commissioner each informant by in respect of the manufacturing or trading activity or any other information on Monthly basis, Quarterly basis, Half yearly basis and Annual basis or any other frequency as specified by the Textile Commissioner.

6. Nature of Information to be collected, information required to be submitted should relate to install capacity, working of the units, trading activity, employment, consumption of the raw material and consumables, imports, production, prices, sales, exports, deliveries, trade related information, power consumption, captive power generation, month end stock of the textile items or any other information that may be required by the Textile Commissioner.

7. Language in which Information is to be furnished, an informant shall furnish information in the prescribed formats either in Hindi or in English. The numerical information shall be in Arabic Numerals.

8. Nature of Business Records and other Records which may be inspected, business records of a unit or person, such as register or records in respect of employees on rolls, purchase or sales or consumption or production or any other documents in support of the information shall be maintained by such unit or person and the data furnished by the unit or person may be inspected including physical verification and drawal of samples by the Textile Commissioner or any other person authorised by him.

9. The Manner of the inspection, the Textile Commissioner or person authorised by him may verify the information furnished in the formats of the return by a unit or person on the basis of business records and other records of the unit or person and seek clarifications from the unit or person or concerned owner or the occupier or lessee or any person authorised by the management of the unit.

10. Obligation of Informant, (i) A person or an owner or occupier or lessee of a unit engaged in manufacturing of textile items shall submit the periodical statistical return in the format and by the date as specified in respect of manufacturing or trading activity.

(ii) An informant shall also furnish relevant records for inspection and submit clarifications or samples in relation to the statistics furnished, as may be required by the Textile Commissioner or a person authorised by him. For this purpose, business records of a person or unit, such as all registers or records regarding data or information of employees, operations of machinery, purchase or consumption or stocks of raw materials, production process, produced quantity and sale or stocks of products including by-products, or any other information and documents in support of information furnished by the unit shall be produced for inspection before the Textile Commissioner or person authorised by him.

SCHEDULE-II

Statistics Officer	Address	Geographical unit/ Jurisdiction
Dr. Kavita Gupta, Textile Commissioner, Government of India.	Nishtha Bhavan (New CGO Building), 48, New Marine Lines, Mumbai-400020	All over India except State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 8/6/2015-PL]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.